सं. जेड-11025/12/2017- ओई-III

विदेश मंत्रालय, नई दिल्ली

अकबर भवन, चाणक्यपुरी,
नई दिल्ली, दिनांक 14 नवंबर, 2018

परामर्शी

विषयः 18 ईसीआर देशों में रोजगार/काम हेतु जाने वाले उत्प्रवास स्वीकृति अनपेक्षित पासपोर्ट धारकों का पंजीकरण

सभी उत्प्रवास अनपेक्षित स्वीकृति पासपोर्ट धारक भारतीय उत्प्रवासियों को एतदद्वारा यह नोट करने का परामर्श दिया जाता है कि विदेश में भारतीय उत्प्रवासियों को सुरक्षा एवं कल्याण प्रदान करने के लिए विदेश मंत्रालय के अधिदेश के अनुसरण में सक्षम प्राधिकारी द्वारा यह निर्णय लिया गया था कि 18 अधिसूचित देशों में ''प्रवासी रोजगार'' हेतु जाने वाले उत्प्रवास स्वीकृति अनपेक्षित पासपोर्ट धारक भारतीय उत्प्रवासियों को वेबसाइट (www.emigrate.gov.in) के माध्यम से ऑनलाइन पंजीकरण कराना आवश्यक है। अधिसूचित देशों के नाम हैंः अफगानिस्तान, बहरीन, इंडोनेशिया, इराक, जार्डन, कुवैत, लेबनान, लीबिया, मलेशिया, ओमान, कतर, सऊदी अरब अधिराज्य, सूडान, दक्षिण सूडान, सीरिया, थाइलैंड, संयुक्त अरब अमीरात और यमन। उपरोक्त प्रावधान को दिसंबर, 2017 से प्रायोगिक आधार पर प्रचालनात्मक बना दिया गया है और यह पाया गया है कि पंजीकरण प्रक्रिया सुचारू रूप से चल रही है।

2. अतः ''रोजगार वीजा'' पर 18 ईसीआर देशों में जाने वाले सभी भारतीयों को तत्काल प्रभाव से ऑनलाइन पंजीकरण कराने की सलाह दी जाती है। emigrate.gov.in वेबसाइट पर जाकर पंजीकरण कराया जा सकता है और ''ईसीएनआर पंजीकरण'' लिंक पर अपने ब्यौरे दें और पंजीकरण फार्म भरने की प्रक्रिया का अनुपालन करें। सफलतापूर्वक पंजीकरण हो जाने पर उत्प्रवासी को एक पुष्टीकारी एसएमएस/ईमेल आएगा।

3. उत्प्रवास स्वीकृति अनपेक्षित पासपोर्ट धारकों का यह कथित पंजीकरण अनिवार्य होगा और वास्तविक प्रस्थान के कम से कम 24 घंटे पहले इसे पूरा करना जरूरी है। सुरक्षा प्रदान करने और विदेश में उनके कल्याण को सुनिश्चित करने के उपाय के रूप में 01.01.2019 से किसी भी भारतीय उत्प्रवास स्वीकृति अनपेक्षित पासपोर्ट धारक को ई-माइग्रेट पर पहले पंजीकरण कराए बिना रोजगार हेतु

18 ईसीआर देशों में जाने की अनुमति नहीं होगी। उत्प्रवास स्वीकृति अनपेक्षित अपंजीकृत उत्प्रवासियों की हवाई अड्डों पर ऑफ-लोडिंग 1 जनवरी, 2019 के बाद उपयुक्त प्राधिकरण द्वारा प्रभावह बनाई जाएगी। अन्य वीजा श्रेणियों के लिए मौजूदा प्रक्रिया में कोई परिवर्तन नहीं किया गया। किसी प्रश्न/स्पष्टीकरण के मामले में भावी उत्प्रवासी प्रवासी भारतीय सहायता केंद्र (पीबीएसके) के टोल फ्री नम्बर 1800113090 या 01140503090 (प्रभार लागू) पर या helpline@mea.gov.in पर ईमेल करके संपर्क कर सकते हैं।

एम० सी० लूथर

(एम.सी. लूथर)
संयुक्त सचिव एवं उत्प्रवास महासंरक्षी

1. सभी उत्प्रवास महासंरक्षी
2. आप्रवासन ब्यूरो (बीओआई)
3. ईसीआर देशों में कार्यरत सभी भारतीय मिशन
4. संयुक्त सचिव (एक्सपी) प्रेस ब्रीफ में शामिल करने हेतु
5. संयुक्त सचिव (खाड़ी)/संयुक्त सचिव (ओआईए-I)/संयुक्त सचिव (सीपीवी)/संयुक्त सचिव (ओआईए-II)
6. संयुक्त सचिव (फॉरनर्स), गृह मंत्रालय
7. भर्ती एजेंट, विदेश नियोक्ता, परियोजना निर्यातक
8. सामान्य/उत्प्रवासी (ई-माइग्रेट वेबसाइट के माध्यम से)
9. प्रवासी भारतीय सहायता केंद्र